न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 04/2017

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री राजकुमार पुत्र आसाराम मोदी – मैसर्स आर.के.इण्डस्ट्रीज, 176 औद्योगिक क्षैत्र बीछवाल, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

दिनांक 02.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.10.2016 को अप्रार्थी श्री राजकुमार मोदी पुत्र श्री आसाराम मोदी(विक्रेता) मैसर्स आर.के. इण्डस्ट्रीज, 176 औद्योगिक क्षैत्र बीछवाल बीकानेर के यहां फ्लोर मिल का निरीक्षण करने पर हल्दी पाउडर (लूज) प्लास्टिक बैग जिसमें करीब 80 किग्रा बिक्री हेतु पिसाई कर रखी थी। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त हल्दी पाउडर (लूज) दो किग्रा नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 300/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त प्राप्त नमूना जांच पैकेड हल्दी पाउडर (लूज) को चार बराबर भागों में बांटकर चार प्लास्टिक की साफ सूखी डिब्बों में सील्ड पैक कर उक्त सील्ड युक्त पैकेट में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/3271/Act/ 2016/943 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें हल्दी पाउडर (लूज) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा हल्दी पाउडर (लूज) सबस्टेण्डर्ड विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थीपक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से हल्दी पाउडर (लूज)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Haldi Powder" (Loose) bearing Code No. and Sr. No. J-1304 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Substandard food Under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां हल्दी पाउडर (लूज)सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी की लिखित बहस है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के यहां हल्दी पाउडर एवं लाल मिर्च पाउडर पैक्ड पैकेट के नमूने लिये थे। जांच के दौरान हल्दी की पिसाई की जा रही थी, जो दीपक ब्राण्ड के नाम से पैंकिंग की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक ही दिन में अप्रार्थी के यहां लूज एवं पैंकिंग के अलग–अलग सैम्पल लिये है। अप्रार्थी अपनी फर्म पर खाद्य सामग्री को पिसाई से पूर्व हल्दी को सुखाकर एवं सफाई मशीन से साफ–सफाई कर पिसाई की जाती है। तत्पश्चात् लेबलिंग के सभी पैरामीटरस् को ध्यान में रख कर पैक्ड किया जाता है। जहां तक हल्दी पाउडर (लूज) का प्रश्न है। जांच दौरान हल्दी की पिसाई की जा रही थी हल्दी पाउडर की पिसाई के दौरान हल्दी गर्म हो जाती है इसलिए खाद्य सामग्री को हवा लगने हेतु खुली/लूज अवस्था में रखी जाती है ताकि पैंकिग के दौरान किसी प्रकार की नमी नहीं रहे। हल्दी पाउडर को तुरन्त पैंकिग न कर लेबलिंग के सभी पैरामीटरस को कानून अनुसार पूरा कर पैक्ड किया जाता है। जांच रिपोर्ट में जहां तक टेस्ट एडेड फोरिन स्टार्च का प्रश्न है। अप्रार्थी हल्दी बाजार से क्रय करता है, जहां हल्दी उत्पादित होती है उस स्थान के वातावरण में नमी, जलवायु एवं आद्रता के कारण उक्त खाद्य पदार्थ में सबस्टेण्डर्ड पाया जाना स्वाभाविक है। अप्रार्थी द्वारा हल्दी पाउडर में किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं की जाती है। अप्रार्थी के यहां पाई गई हल्दी पाउडर मानव उपयोग के लिए अनसेफ नहीं पाई गई है और ना ही मानव उपयोग के नुकसान दायक है। अप्रार्थी की स्वयं की देखरेख में हल्दी की पिसाई की जाती है। खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा उक्त नमूने की जांच के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानक अन्तर्गत हल्दी पाउडर पैक्ड पैकेड एवं हल्दी परउडर (लूज) दोनों प्रकरणों की रिपोर्ट समान पाई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दोहरे प्रकरण के परिवाद दायर किये गये, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी द्वारा दोहरे प्रकरण के लिए अप्रार्थी के प्रति नरमी का रख अपनाते हुवे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही को खारिज करने के आदेश फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं संलग्न मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS/3271/Act/ 2016/943 दिनांक 23.11.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस रिपोर्ट में The sample of "Haldi Powder" (Loose) bearing Code No. and Sr. No. J-1304 of Designated Officer cum. The Chief Medical & Health Officer. Bikaner. is Substandard food Under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां हल्दी पाउडर (लूज) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 15,000/— अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210— चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमीं की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(एस.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.) बीकानेर
अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner